संख्या-156/2026/580/69-1-2026-1978882

प्रेषक,

लाल मणि यादव,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 31 मार्च, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-83 में मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत जनपद-गोरखपुर की कुल 18 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5332 एवं 4947/10/छः/विविध/2025-26 दिनांक 06.03.2026 एवं 16.02.2**026** के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि "**मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत**"वित्तीय वर्ष **2025-26** में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत **जनपद-गोरखपुर** के विभिन्न निकायों की विभिन्न वार्डों में सी0सी0/इण्टरलाकिंग रोड व नाली निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अलग-अलग कुल 18 परियोजनाओं, जिसका विवरण तालिका में दिया गया है, हेतु कुल **रू. 768.20 लाख** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहितउक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में परियोजना लागत का 55 प्रतिशत अर्थात **रू. 422.51 लाख (रूपये चार करोड़ बाईस लाख इक्यावन हजार मात्र)** धनराशि की वित्तीय स्वीकृति पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू. में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	बस्ती कार्य का/वार्ड का नाम/विवरण।	परियोजना लागत	प्रथम किश्त के रूप में 55 प्रतिशत की निर्गत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	गोरखपुर	नगर निगम, गोरखपुर	वार्ड संख्या-03 रानीडीहा में स्वामीनाथ के मकान से सुरेन्द्र कुमार के मकान होते हुये विजय के मकान तक सीसी सड़क व आरसीसी नाली निर्माण का कार्य।	28.12	15.466
2	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 33 नरसिंहपुर में रामजतन के मकान से राजदीप के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	35.18	19.349
3	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 38 कान्हा उपवन नगर महेवा में रामचन्द्र मझवार के मकान से राजकुमार के मकान तक विभिन्न गलियों में व रमेश के मकान से जयशंकर के मकान तक सी०सी० सडक व आसी०सी० नाली निर्माण कार्य।	82.15	45.1825
4	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 49 बेनीगंज रूद्रपुर दीवान बाजार में मीना देवी स्कुल से काली मन्दिर तक सी०सी० सडक व	46.92	25.806

http://shasanadesh.up.nic.in

			आर०सी०सी० नाली निर्माण		
5	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 51 देवी प्रसाद नगर पथरा में संजय के मकान से ध्रुव नारायण के मकान होते हुए अष्टभुजा के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	28.12	15.466
6	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 51 देवी प्रसाद झरवा में रामरतन के मकान से श्याम देव के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	12.46	6.853
7	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 66 नेता जी सुभाष चन्द्र बोस नगर में रमेश भार्गव के मकान के बगल से उषा देवी के मकान, उत्तम सिंह पार्क होते हुए संजय के मकान तक सी०सी० सहक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य	59.46	32.703
8	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 71 आर्यनगर में दुर्गाबाडी रोड आर्शीवाद कम्पलेक्स से शिवपूजन कन्नौजिया व अनिल पासवान के मकान होते हुए कादिर अली के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	56.95	31.3225
9	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 71 आर्यनगर में बेनीगंज में संतोष पासवान के मकान से गिरजा शंकर के मकान होते हुए अमित सोनकर के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	51.19	28.1545
10	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 75 शिवाजी नगर मुहल्ला मिर्जापुर के विभिन्न गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	60.62	33.341
11	गोरखपुर	नगर निगम, गोरखपुर	वार्ड संख्या 24 मत्सयेन्द्र नगर नौसढ़ में हिरा के घर से मेहेन्द्रा एजेन्सी होते हुये छोटई धोबी के घर तक सीसी रोड व आरसीसी नाली निर्माण का कार्य।	46.92	25.806
12	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 24 मत्स्येन्द्र नगर नौसढ में अंगद सिंह के मकान से महेश चौहान के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य	31.24	17.182
13	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 41 माधोपुर में विजय के मकान से ध्रुप व डी०के० शर्मा के मकान होते हुए सुनीता भारती के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	46.92	25.806
14	तदैव	तदैव	वार्ड सं0 42 महराणा प्रताप नगर मुहल्ला रसुलपुर में राजेन्द्र शर्मा के मकान से चन्द्रशेखर कन्नौजिया के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य।	31.24	17.182
15	तदैव	तदैव	वार्ड नं0 58 सुरजकुण्डधाम नगर में रमेश राजभर के मकान से रामअवतार कन्नौजिया के मकान होते हुए सोनू के मकान तक सी०सी० सड़क एवं नाली निर्माण	31.25	17.1875

http://shasanadesh.up.nic.in

			कार्य।		
16	तदैव	तदैव	वार्ड सं० 68 महर्षि दधिची नगर तिवारीपुर में मधु गुप्ता के मकान से बब्लू गौंड के मकान तक सी०सी० सडक व आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य	41.28	22.704
17	तदैव	न 0पं0 उरूवा बजार	वार्ड नंमें रामकृपाल के घर से बेचई के घर होते हुए 02 0 तक सीसी सडक एवं आरसीसी नाली हरिजन बस्ती निर्माण कार्य।	39.09	21.4995
18	तदैव	न 0पं0 उरूवा बजार	वार्ड नं दुधरा आई टी आई से बस्तियां हरिजन बस्ती 13 0 होते हुए पोखरे होते हुए पोखरे तक सीसी सडक एवं आरसीसी नाली निर्माण कार्य।	39.09	21.4995
			योग	**768.20**	**422.51**

(रूपये चार करोड़ बाईस लाख इक्यावन हजार मात्र)

1. उक्त धनराशि का उपयोग प्रश्नगत योजना के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों विषयक शासनादेश संख्या-117/2017/1279/69-1-17-14(31)/2012टीसी, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन करते हुए की जायेगी।
2. प्रश्नगत परियोजनाओं में प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर/सूडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य की विशिष्टियाँ, मानक व गुणवत्ता आदि को सुनिश्चित करते हुए कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायेंगे कि वे उपलब्ध धनराशि से ही निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये तथा उनका लाभ सम्बन्धित स्थानीय निवासियों को मिल सके।
4. उक्त धनराशि यथा समय सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। सम्बन्धित डूडा (निर्माण इकाई) द्वारा प्रश्नगत परियोजना को जिला स्तरीय शासी निकाय से अनुमोदित कराने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को व्यय करने से पूर्व सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजना/आगणन का गठन वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210-दस/2008 दिनांक 04.04.2008 के अनुरूप किया गया है।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी प्रकार का व्यावर्तन अनुमन्य नहीं होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
8. उक्त धनराशि यथासमय सम्बन्धित डूडा इकाई (निर्माण इकाई) को उपलब्ध करा दी जायेगी। उक्त धनराशि सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त करने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त परियोजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है, जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में स्वीकृत धनराशि तत्काल राजकोष में जमा कराकर शासन को सुचित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

9. प्रश्नगत परियोजना से सम्बन्धित कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा/डूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपर मुख्य सचिव/ सचिव, विशेष सचिव तथा संयुक्त सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
11. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि तथा लेखाशीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
12. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवश्य करा लिया जाये और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि, यदि कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
13. सेन्टेज चार्जेज (अधिष्ठान व्यय) की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 में जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के क्रम में सुसंगत लेखा शीर्ष में जमा किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जितनी 31 मार्च, 2026 तक व्यय हो सके।
15. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त होने वाली धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
16. **प्रश्नगत परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना निदेशक एवं परियोजना अधिकारी, डूडा की होगी।**

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26केआय-व्ययक के **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2217047890500 मुख्यमंत्री नगरीयअल्प विकसित व मलिन बस्ती चालू विकास योजना **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न **संख्या- ई-9-667-X-2025-26 दिनांक- 31 मार्च, 2026** में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल मणि यादव)
उपसचिव।

<u>संख्या व दिनांक-तदैव</u>।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,20 सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, छठवां तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन, प्रयागराज।
4. निजी सचिव, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।
5. निजी सचिव,प्रमुखसचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, **गोरखपुर।**
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइड पर अपलोड कराने हेतु।
12. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

(लाल मणि यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in